वित्त निर्देश 18/2019

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 390/एफ-2013-04-00416/वि/नि/चार नवा रायपुर, दिनांक 22 अगस्त, 2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः-राज्य शासन के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 2017 एवं पुनरीक्षित वेतनमान 2009 में दिनांक 01.01.2019 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 132/एफ 2013-04-00416 /वि/नि/चार, दिनांक 8 मार्च, 2019 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को माह जुलाई, 2018 से सातवें वेतनमान में 9% की दर से तथा छठवें वेतनमान में 148% की दर से मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों को निम्नानुसार दर से मंहगाई भत्ता दिया जाये:-

अवधि जब से देय	महंगाई भत्ते की वृद्धि का प्रतिशत
सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता की दर दिनांक 01-01-2019 से	3% कुल (12%)
छठवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता की दर दिनांक 01-01-2019 से	6% कुल (154%)

(2) राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि :-

1. बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का माह अगस्त, 2019 के वेतन (सितम्बर 2019 को भुगतान योग्य) से नगद भुगतान किया जाएगा। माह जनवरी, 2019 से माह जुलाई, 2019 तक (7 माह) की बढ़ी हुई राशि संबंधित शासकीय सेवकों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अभिदाताओं को नगद भुगतान किया जाएगा।
2. महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जावेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।
3. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।
4. महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णाकिंत किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
5. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।
6. इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

22/8/2019

(डॉ.ए.के. सिंह)
संयुक्त सचिव

क्रमांक 391/एफ-2013-04-00416/वि/नि/चार नवा रायपुर, दिनांक 22 अगस्त, 2019

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, नवा रायपुर अटल नगर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नवा रायपुर अटल नगर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नवा रायपुर अटल नगर

- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट WWW.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

22/8/19

(पूजा शुक्ला मिश्रा)

अवर सचिव